

ICJ कार्यवाही: दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल

यह एडिटरियल 25/01/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "The issue of genocide and the world court" लेख पर आधारित है। इसमें गाज़ा युद्ध के संबंध में ICJ में इज़राइल के वरिद्ध दक्षिण अफ्रीका की कानूनी कार्यवाही के बारे में चर्चा की गई है। इस मामले में इज़राइल राज्य पर युद्ध अपराध, मानवाधिकारों के हनन और नरसंहार के कृत्य जैसे आरोप शामिल हैं।

प्रलिस के लिये:

[अंतरराष्ट्रीय न्यायालय](#), [जेनोसाइड कन्वेंशन](#), [ICJ के साथ भारत का संबंध](#), [द्वितीय विश्व युद्ध](#), [अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संवधि](#), [गाजा युद्ध](#), [इज़राइल](#), [फिलिस्तीन](#), [मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा \(UDHR\)](#)।

मेन्स के लिये:

नरसंहार और उसके परिणाम, नरसंहार से निपटने के लिये भारत द्वारा अपनाए गए उपाय।

[मानवाधिकार हनन](#), [नरसंहार \(genocide\)](#) और [युद्ध अपराध \(war crimes\)](#) अंतरराष्ट्रीय कानून के व्यापक ढाँचे के भीतर परस्पर-संबद्ध अवधारणाएँ हैं, जो विशेष रूप से संघर्ष या संकट के समय व्यक्तियों एवं समूहों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती हैं। मानव अधिकार नरसंहार और युद्ध अपराधों की रोकथाम के लिये आधार के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिकार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और घोषणाओं में नहिंति हैं, जैसे [मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा \(Universal Declaration of Human Rights- UDHR\)](#)।

दक्षिण अफ्रीका ने [अंतरराष्ट्रीय न्यायालय \(International Court of Justice- ICJ\)](#) में इज़राइल के वरिद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू की है। अपने आवेदन में दक्षिण अफ्रीका ने तर्क दिया कि जिस तरह से इज़राइल गाज़ा में अपने सैन्य अभियान चला रहा था, उसने [नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन \(International Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide\)](#), जिसे [जेनोसाइड कन्वेंशन](#) के रूप में भी जाना जाता है, का उल्लंघन किया है।

नरसंहार या 'जेनोसाइड' क्या है?

परिचय:

- [संयुक्त राष्ट्र \(UN\)](#) के अनुसार, नरसंहार किसी विशेष जातीय, नस्लीय, धार्मिक या राष्ट्रीय समूह का मंशापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से किया जाने वाला वनिाश (destruction) है।
- यह वनिाश विभिन्न तरीकों से हो सकता है, जिसमें सामूहिक हत्या (mass killing), जबरन स्थानांतरण (forced relocation) और कठोर जीवन दशाओं को लागू करना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक रूप से मृत्यु होती है।

शर्तें:


- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नरसंहार के अपराध में दो मुख्य तत्व शामिल हैं:
 - **मानसिक तत्व (Mental Element):** किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट करने की मंशा।
 - **भौतिक तत्व (Physical Element):** इसमें नमिनलखित कृत्य शामिल हैं जिनकी वसितृ गणना की गई है:
 - किसी समूह के सदस्यों की हत्या करना
 - किसी समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना
 - किसी समूह पर मंशापूर्वक ऐसी जीवन दशाएँ थोपना जिससे उसका संपूर्ण या आंशिक रूप से भौतिक वनिाश होता है।

'जेनोसाइड कन्वेंशन' क्या है?

परिचय:

- 'नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन' अंतरराष्ट्रीय कानून का एक साधन है जिसने पहली बार नरसंहार के अपराध को संहिताबद्ध किया।

- यह 9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा अंगीकार की गई पहली मानवाधिकार संधि थी।
- यह **द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान हुए अत्याचारों के बाद 'नेवर अगेन' (never again) की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इसका अंगीकरण अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के विकास की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **वशिष्टाएँ:**
 - जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार, नरसंहार एक अपराध है जो युद्ध और शांति, दोनों स्थितियों में हो सकता है।
 - नरसंहार के अपराध की इस परिभाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक रूप से अपनाया गया है, जिसमें **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की वर्ष 1998 की रोम संधि (Rome Statute)** भी शामिल है।
 - उल्लेखनीय है कि यह कन्वेंशन राज्य पक्षकारों पर **नरसंहार के अपराध की रोकथाम एवं दंड के लिये उपाय करने का दायित्व** स्थापित करता है, जिसमें प्रासंगिक कानून बनाना और अपराधियों को दंडित करना शामिल है, "चाहे वे संवैधानिक रूप से उत्तरदायी शासक, सार्वजनिक अधिकारी या नज्दी व्यक्तियों हों" (अनुच्छेद IV)।
 - इस दायित्व को, नरसंहार के कृत्य की रोकथाम करने के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून के मानदंडों के रूप में देखा गया है और इसलिये यह सभी राज्यों पर बाध्यकारी है, चाहे **उन्होंने जेनोसाइड कन्वेंशन की पुष्टि की हो या नहीं**।
 - **भारत ने इस कन्वेंशन की पुष्टि की है।**



THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

1 Equality

Everyone is born free and equal in dignity and with rights.



2 Freedom from Discrimination

You should never be discriminated against for any reason.



3 Life, Liberty and Security

Everyone has the right to life, liberty and personal security.



4 Freedom from Slavery

No-one shall be held in slavery or servitude.



5 Freedom from Torture

No-one shall be subjected to torture or to cruel or degrading treatment.



6 Recognition as Person Before Law

You have the right to be treated as a person in the eyes of the law.



7 Equality Before the Law

You have the right to be treated by the law in the same way as everyone else



8 Remedy by Tribunal

You have the right to remedy by competent tribunal.



9 Freedom from arbitrary arrest

No-one shall be subject to arbitrary arrest, detention or exile.



10 Fair Public Hearing

You have the right to a fair public hearing.



11 Innocent until Proven Guilty

You have the right to be considered innocent until proven guilty.



12 Privacy

No-one has the right to interfere with your privacy, family, or home.



13 Freedom of Movement

You have the right to freedom of movement in and out of the country.



14 Asylum

You have the right to seek asylum in other countries from persecution.



15 Nationality

You have the right to a nationality.



16 Marriage and Family

You have the right to marriage and to raise a family.



17 Property

You have the right to own property.



18 Freedom of Belief

You have the right to freedom of belief and religion.



19 Freedom of Opinion

You have the right to freedom of opinion and expression.



20 Freedom of Assembly

You have the right to freedom of peaceful assembly and association.



21 Take Part in Government

You have the right to take part in the government of your country.



22 Social Security

You have the right to social security.



23 Work

You have the right to desirable work and to join trade unions.



24 Rest and Leisure

You have the right to rest and leisure.



25 Adequate Living Standard

You have the right to a decent life, including food, clothing, housing, and medical care.



26 Education

You have the right to education



27 Participate in Cultural Life

You have the right to Participate in the Cultural Life of Community.



28 Social Order

You have the Right to a Social Order that Articulates this Document.



29 Mutual Responsibility

We all have a responsibility to the people around us and should protect their rights and freedoms.



30 Freedom from State or Personal Interference

There is nothing in this declaration that justifies any person or country taking away the rights to which we are all entitled.



HRE USA
Human Rights Educators USA

A national network dedicated to building a culture of human rights.

HUMAN RIGHTS EDUCATION is a lifelong process of teaching and learning that helps individuals develop the knowledge, skills, and values to fully exercise and protect the human rights of themselves and others; to fulfill their responsibilities in the context of internationally agreed upon human rights principles; and to achieve justice and peace in the world. **HRE USA** strives to promote human dignity, justice, and peace by cultivating an expansive, vibrant base of support for Human Rights Education (HRE) in the United States.

‘दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल मामला’ क्या है?

■ दक्षिण अफ्रीका के आरोप:

- गाज़ा में इज़राइली सेनाओं द्वारा बड़ी संख्या में फलिसितीनियों, विशेषकर बच्चों की हत्या, उनके घरों का वनिाश, उनका नषिकासन एवं वसिथापन ।
- इसमें गाज़ा पट्टी में भोजन, जल एवं चकितिसा सहायता पर नाकाबंदी लागू करना, गर्भवती महिलाओं एवं शशुओं की जीवतिा के लयि महत्त्वपूर्ण आवश्यक सेवाओं को नषट करने के माध्यम से फलिसितीनी जन्म को रोकने के उपाय लागू करना भी शामिल है ।

■ दक्षिण अफ्रीका की तत्काल मांगें:

- दक्षिण अफ्रीका ने अनुरोध कयिा है कि ICJ ‘अनंतिमा उपायों’ (provisional measures)—यानी अनविर्य रूप से एक आपातकालीन आदेश जसिे मुख्य मामला/केस शुरू होने से पहले भी लागू कयिा जा सकता है, का उपयोग कर इज़राइल को गाज़ा पट्टी में आगे और अपराध से रोकने के लयि तत्काल कदम उठाए ।
- उसने तरक दयिा है कि “जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत फलिसितीनी लोगों के अधिकारों, जनिका दंडमुक्ति (impunity) के साथ उल्लंघन जारी है, को और अधिक गंभीर एवं अपूरणीय क्षति से बचाने के लयि अनंतिमा उपाय आवश्यक हैं ।”

■ इज़राइल का रुख:

- इज़राइल ने ICJ के समक्ष इस मामले को लाने के लयि दक्षिण अफ्रीका को लताड़ लगाते हुए बलपूर्वक कहा है कि वह न्यायालय में अपना बचाव करने के लयि तैयार है । इज़राइली अधिकारियों ने इस मामले/केस को ‘बेतुका’ (preposterous) बताया है और कहा है कि यह ‘ब्लड लाइबेल’ (blood libel) जैसा है ।
- इज़राइल का तरक है कि गाज़ा में 23,000 से अधिक लोगों की हत्या आत्मरक्षा में की गई है और वह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अंतर्गत अपने इस सर्वाधिक अंतरनहिति अधिकार के तहत आत्मरक्षा का उपयोग करने के अपने मामले को गर्व से पेश करेगा ।

■ अंतरराष्ट्रीय समुदाय का रुख:

- कई देशों और संगठनों ने दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे का समर्थन कयिा है । इनमें मलेशया, तुर्की, जॉर्डन, बोलीवया, मालदीव, नामीबया, पाकसिान, कोलंबया और **इसलामी देशों के संगठन (IOC)** के सदस्य देश शामिल हैं ।
- मामले में **यूरोपीय संघ (EU)** ने मौन साध रखा है, लेकिन इज़राइल को अपने सबसे बड़े समर्थक एवं हथयार आपूरतकिरता संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन मलिा है, जसिने कहा है कि “यह आरोप कि इज़राइल नरसंहार कर रहा है, नरिाधार है, लेकिन इज़राइल को नागरकि क्षति को रोकना चाहयिे और मानवीय अपराधों के आरोपों की जाँच करनी चाहयिे ।”
 - ब्रिटेन और फ्रांस ने इस मुकदमे का वरिोध कयिा है, यहाँ तक कि फ्रांस ने इज़राइल के वरिुद्ध जेनोसाइड के नरिणय जारी कयिे जाने पर इसके गैर-अनुपालन का भी संकेत दयिा है ।

‘दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल मामले’ से संबद्ध वभिन्नि चतिाएँ क्या हैं?

■ ICJ एक मंच के रूप में:

- इज़राइल पर एकतरफा फोकस को लेकर सवाल उठते हैं, जबकि हिमास जैसे गैर-राज्य अभकिरताओं को ICJ के समक्ष नहीं लाया जा सकता है ।
- उल्लेखनीय है कि ICC व्यक्तियों पर सुनवाई करता है और वहाँ इस वषिय को अन्वेषण के सुपुर्द कयिा गया है ।

■ वैश्वकि वभिजन:

- राष्ट्रों के बीच वभिजन, जहाँ औपनविशकि एवं गैर-औपनविशकि इतिहास की एक भूमकिा नज़र आती है, से जटलिता बढ़ती है जहाँ बांग्लादेश एवं जॉर्डन दक्षिण अफ्रीका का समर्थन कर रहे हैं, जबकि जर्मनी इज़राइल का समर्थन कर रहा है ।
 - जर्मनी, जो पूर्व में जेनोसाइड कन्वेंशन के व्यापक नरिवचन का समर्थन करता रहा है, दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल मामले में इज़राइल के साथ खड़ा है, जो उसके वर्तमान रुख को प्रश्नगत करता है ।
- यह वभिजन अंतरराष्ट्रीय कानून के नरिमाण में ऐतिहासकि शक्ति समीकरण को दर्शाता है ।
 - इस कार्यवाही को स्वयं अंतरराष्ट्रीय कानून की वैधता को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है । फ्रांस के आक्रामक बयानों से इस धारणा को बल मलिा है ।

नोट:

- ICJ, **अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court- ICC)** से अलग है । ICC आपराधिक मामलों में व्यक्तियों पर सुनवाई करता है, जहाँ इज़राइल भी हिमास और उसके सदस्यों के वरिुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है ।

Differences between the ICJ and the ICC

The International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Court (ICC) are two courts with different functions within the international legal system.

	 ICJ International Court of Justice	 ICC International Criminal Court
Established	1945	2002
UN-relationship	Highest court of the UN	Not part of the UN
Location	The Hague, the Netherlands	The Hague, the Netherlands
Jurisdiction	UN member-states	Individuals
Types of cases	Legal disputes between states and requests for advisory opinions on legal questions	Prosecutes individuals for the most serious crimes as per the Rome Statute
Appeals	No	Yes
Enforcement power	None - relies on the UN Security Council to uphold judgements, with permanent members having veto power	None - relies on cooperation from member states to enforce its decisions

नरसंहार के वषिय में भारत में कौन-से कानून और वनियमन मौजूद हैं?

- **अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन:**
 - भारत के पास नरसंहार पर कोई घरेलू कानून मौजूद नहीं है, हालाँकि इसने नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की है।
 - भारत UDHR का हस्ताक्षरकर्ता है और उसने नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (International Covenant on Civil and Political Rights- ICCPR) और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights- ICESCR) की पुष्टि कर रखी है।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC):**
 - **IPC** नरसंहार एवं संबंधित अपराधों के लिये दंड का प्रावधान करती है और अन्वेषण, अभियोजन एवं दंड की प्रक्रियाएँ प्रदान करती है।
 - IPC की धारा 153B के तहत नरसंहार को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जो दंगे भड़काने या हिसा के कृत्यों को अंजाम देने के इरादे से धर्म, जाति, जन्म स्थान, नविस, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को अपराध मानता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - भारतीय संविधान [अनुच्छेद 15](#) के माध्यम से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के वरिद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
 - [अनुच्छेद 21](#) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आदि के अधिकार की गारंटी देता है।
- **सांविधिक प्रावधान:**
 - [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) की स्थापना वर्ष 1993 में [मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम \(PHRA\), 1993](#) के तहत की गई।
 - यह अधिनियम राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

नरसंहार और युद्ध अपराधों की रोकथाम के कौन-से उपाय हैं?

नरसंहार कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो रातोंरात या बिना किसी चेतावनी के घटति हो जाए। नरसंहार के लिये संगठन की आवश्यकता होती है और यह वास्तव में एक सोची-समझी रणनीति होती है। यह रणनीति प्रायः सरकारों या राज्य तंत्र को नियंत्रित करने वाले समूहों द्वारा अपनाई जाती है। वर्ष 2004 में [रवांडा नरसंहार](#) की दसवीं बरसी पर, तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव [कोफी अन्नान](#) ने नरसंहार को रोकने के लिये पाँच सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी:

■ सशस्त्र संघर्ष को रोकना:

- चूँकि युद्धकाल में नरसंहार की सबसे अधिक संभावना होती है, इसलिये नरसंहार की संभावनाओं को कम करने के सर्वोत्तम उपायों में से एक है हस्ता-संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना। इसमें घृणा, असह्युता, नस्लवाद, भेदभाव, अत्याचार और अमानवीय सार्वजनिक आख्यान शामिल हैं जो लोगों के पूरे समूह को उनकी गरमा एवं अधिकार से वंचित करते हैं।
- संसाधनों तक अभिगम्यता में असमानताओं को संबोधित करना भी एक महत्त्वपूर्ण रोकथाम रणनीति है।

■ नागरिकों की रक्षा करना:

- जब संघर्ष को रोकने के प्रयास विफल हो जाएँ तो नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिये। जहाँ भी नागरिकों को, उनके किसी विशेष समुदाय से संबंधित होने के लिये, जानबूझकर नशाना बनाया जाता है, वहाँ नरसंहार का खतरा उत्पन्न होता है।
- पछिल्ले दशक में [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद](#) ने [संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों](#) के कार्यक्षेत्र का बार-बार वसितार किया है ताकि वे हस्ता का खतरा झेल रहे नागरिकों की भौतिक रूप से रक्षा कर सकें।

■ न्यायिक कार्रवाई के माध्यम से दंडमुक्तिको समाप्त करना:

- नरसंहार के अपराधों के लिये उत्तरदायी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की ज़रूरत है ताकि लोगों में भय उत्पन्न कर उन्हें ऐसे अपराधों से विमुख किया जा सके।
- दंडमुक्ति (impunity) को चुनौती देना और एक विश्वसनीय अपेक्षा स्थापित करना कि नरसंहार एवं संबंधित अपराधों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, इसके प्रभावी रोकथाम की संस्कृति में योगदान दे सकता है।

■ विशेष सलाहकारों की नियुक्ति:

- 1990 के दशक में रवांडा और बाल्कन की त्रासदियों ने सबसे खराब अनुभवों के साथ प्रदर्शित किया कि संयुक्त राष्ट्र को नरसंहार को रोकने के लिये और अधिक प्रयास करना होगा।
- इसे ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नरसंहार की रोकथाम पर विशेष सलाहकार की नियुक्ति की।
 - विशेष सलाहकार उन स्थितियों के बारे में सूचनाएँ एकत्र करते हैं जहाँ नरसंहार, युद्ध अपराध, जातीय संहार (ethnic cleansing) और मानवता के विरुद्ध अपराध का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

■ त्वरित कार्रवाई, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है:

- नरसंहार या अन्य सामूहिक अत्याचार अपराधों को रोकने या इस पर प्रतिक्रिया देने के लिये घरेलू स्थितियों में कब, कहाँ और कैसे सैन्य हस्तक्षेप करना है, इसका निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाना चाहिये।
- वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सभी देश औपचारिक रूप से सहमत हुए कि यदि शांतिपूर्ण तरीके अपर्याप्त हैं और यदि राष्ट्रीय सत्ता अपनी आबादी को सामूहिक अत्याचार अपराधों से बचाने में 'स्पष्ट रूप से विफल' हो रही है, तो:
 - विश्व के देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार 'समयबद्ध एवं निर्णायक तरीके से' सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिये।

नष्कर्ष:

ICJ में इज़राइल के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही ने गहन वैश्विक बहस छेड़ दी है। यह मामला गाज़ा में इज़राइल के सैन्य अभियानों में नरसंहार के आरोपों से संबंधित है, जो एक जटिल कानूनी संदर्भ प्रस्तुत करता है। इसका निर्णय न केवल गाज़ा में संकट को कम करने के लिये बल्कि 'नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' (rules-based international order) के लिये एक अत्यंत आवश्यक परीक्षण के रूप में भी महत्त्वपूर्ण है। आगामी माहों में ICJ के निर्णय अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचे की धारणाओं को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

अभ्यास प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय कानून में नरसंहार, युद्ध अपराध एवं मानवाधिकारों के बीच अंतरसंबंध की चर्चा कीजिये। इनके मध्य संबंधों एवं संबंधित कानूनी ढाँचों को बताते हुए इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) जैसी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का नमिनलखिति में से कौन-सा भाग मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है या प्रतबिबिति करता है? (2020)

1. प्रस्तावना
2. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
3. मौलिक कर्तव्य

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. यदधपि मानवाधकार अयोगों ने भारत में मानव अधकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है फरि भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के वरिद्ध अधकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का वश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों का सुझाव दीजिये। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/icj-proceedings-south-africa-vs-israel>

